

## वेतन मामला तत्काल/तिथीबद्ध

प्रेषक

निदेशक सकैण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में

1. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ।
3. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुडगांव ।
4. राज्य के सभी प्राचार्य डाईट/गैटिज ।
5. राज्य के सभी राजकीय विधालयो के आहरण एवं वितरण अधिकारी।

अशा0 क0 12/69-2016 प्रशा0 (2)

दिनांक 11-10-2018

**विषय :- HRMS Portal पर Pending Salary Report के अर्न्तगत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित वेतन सम्बन्धित मामलो का निपटान करने बारे।**

.....

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के अशा. कमांक 12/69-2016 प्रशासन (2) दिनांक 04.10.2018 के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में संदर्भित पत्र के तहत आपको निर्देश दिये गये थे कि आपके अधीन कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का मास सितम्बर/2018 तक या उससे पहले का वेतन HRMS पोर्टल पर डाटा पूर्ण रूप से update न होने के कारण अगर रुका हुआ है तो दिनांक 10-10-2018 तक हर हालात में वेतन ड्रा किया जाना सुनिश्चित करें और यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का किसी कारण से वेतन नहीं दिया जाना बनता है तो उस कारण को भी HRMS के सम्बन्धित Section में update करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि तकनीकी कारण से किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन ड्रा नहीं हो पा जा रहा है तो उसकी शिकायत HRMS पोर्टल के Helpdesk पर पंजीकृत करवाते हुए, उसकी जिलावार सूची निदेशालय को दिनांक 08-10-2018 तक अवश्य भेजें। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इस बारे में आपसे कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जबकि 6042 अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम HRMS पोर्टल की लम्बित वेतन सूची में दर्शाया जा रहा है। (सूची सलंगन)

अतः इस बारे आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि निम्न अनुसार HRMS पोर्टल पर वांछित सूचना दिनांक 13-10-2018 तक अंकित करना सुनिश्चित करें :-

1. जो अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनका वेतन भी ड्रा हो चुका है, बारे HRMS पोर्टल में सम्बन्धित Section में update करना सुनिश्चित करें।

2. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन E-Salary के माध्यम से वेतन बकाया व किसी ओर रूप में निकाला जा चुका है, इस बारे भी HRMS पोर्टल की लम्बित वेतन सूची में सम्बन्धित Option को update करना सुनिश्चित करें।
3. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन किसी तकनिकी कारण से लम्बित है तो उसकी शिकायत HRMS पोर्टल के Helpdesk लिंक पर दर्ज करते हुए उसकी सूचना विभाग की ई-मेल hryedu.hrms@gmail.com पर भेजें।
4. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन किसी अन्य कारण से (जैसे बिना वेतन अवकाश, सेवा त्यागपत्र व किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति इत्यादि के कारण) नहीं दिया जाना बनता है तो उस कारण को भी HRMS पोर्टल की लम्बित वेतन सूची में सम्बन्धित Option को update करना सुनिश्चित करें।

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/संबन्धित डी0डी0ओ0 एवं चैकर का वेतन Treasury and Account Department द्वारा रोक दिया जायगा, जिसके लिए वह स्वयं निम्मेवार होंगे। इस बारे निदेशालय को दिनांक 13-10-2018 तक यह प्रमाण पत्र भेजें कि उनके जिले में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन 30-09-2018 तक लम्बित नहीं है।

**कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।**

सहायक निदेशक-कम-नोडल अधिकारी (HRMS)  
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक -सम-

दिनांक, पंचकूला 11-10-2018

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रशासन अधिकारी, कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. सहायक निदेशक प्रशासन, कार्यालय निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. श्री राजेश धीमान सहायक निदेशक, कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. श्री सुशील शर्मा सहायक निदेशक, कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

सहायक निदेशक-कम-नोडल अधिकारी (HRMS)  
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।